जिला निर्वाचन कार्यालय
फोन न० 06478–227125

समाहरणालय, सहरसा

(जिला निर्वाचन कार्यालय)

जिला निर्वाचन कार्यालय का
ई–मेल
dyeo16_saharsa@yahoo.co.in

अल्पकालीन निविदा

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना के ज्ञापांक 1357 दिनांक 06.06.2020 द्वारा दिए निदेशालोक में बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020– सहरसा जिला में निर्वाचन संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोग होने वाली सामग्री यथा क्रम सं0–1. लेखन सामग्री, मतदान सामग्री एवं विभिन्न प्रपत्रों/पंजी एवं लिफाफा का मुद्रण आदि 2. टेंट/शमियाना, अस्थाई विद्युतीकरण 3. कम्प्यूटर सामग्री वीडियोग्राफी एवं सी0सी0टी0वी0कैमरा 4. जी0पी0एस ट्रैकिंग सिस्टम 5. चाय नास्ता, भोजन न्यूनतम दर/भाड़ा निर्धारण हेतु द्विलिफाफा पद्धति के माध्यम से मुहरबंद लिफाफें में दिनांक 15.07.2020 को 05:00 बजे अपराह्न तक इच्छुक फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मों से प्राप्त निविदा को उसी दिन दिनांक 15.07.2020 को 05:30 बजे अपराह्न में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा का प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, सहरसा द्वारा निर्गत निविदा प्रपत्र एक हजार रूपये में नाजिर रसीद लेकर प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में दिनांक 14.07.2020 तक जिला निर्वाचन कर्यालय, सहरसा से प्राप्त किया जा सकता है, यह राशि वापस नहीं होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य क्रम संख्यावार अलग–अलग देना होगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक क्रम संख्या का निविदा प्रपत्र लेना चाहेंगे तो अलग–अलग मूल्य देना होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय, सहरसा द्वारा निर्गत निविदा प्रपत्र ही निविदा हेतु स्वीकार होगा। विशेष जानकारी के लिए सहरसा के वेबसाईट www.saharsa.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, सहरसा।

3-D/Bidhan Sabha/Tent Samagari Related Tender Latter 2020

निविदा की सामान्य शर्तें:–

1. कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. आईटमवार निविदा अलग–अलग लिफाफे में देनी होगी।
3. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफें में मुहरबंद होना आवश्यक होगा।
4. वैसे फर्म जो तकनीकी निविदा में सफल होंगें, केवल उसी फर्म की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. निविदा में दर के साथ सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित रहना अनिवार्य है। अलग से कोई भी टैक्स देय नहीं होगा।
6. क्रय किये जाने वाले सामग्री का दर लिखना होगा, एम0आर0पी0 नहीं।
7. स्वीकृत निविदा दाता को समय सीमा के अधीन कार्य सम्पन्न करना होगा।
8. भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा समय–समय पर प्राप्त अद्यतन निदेश/आदेश के आलोक में प्रपत्रों/सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सहरसा का निर्णय अंतिम होगा। निविदा में बिना कोई कारण बताये संशोधन करने स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

निविदा की तकनिकी शर्तें क्रम सं0–1 :–

1. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है, जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र/किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न करनी होगी।
2. निविदादाता फर्म को आयकर एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलन करना होगा।
3. निवादादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन Return के साथ कम से कम पच्चीस लाख रुपये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रुप में वित्तीय वर्ष 2019–2020 में जमा करने का प्रमाण पत्र देना होगा।
4. निविदादाता फर्म को Bihar Shop & Establishment Act एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत कम से कम पाच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
5. निविदादाता फर्म को ISO 9001:2015 Certification का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN NO.) के साथ उद्यतन आयकर रिर्टन एवं पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2016–2017), (2017–2018), एवं (2018–2019) का Audited Balance Sheet के साथ प्रति वर्ष दो करोड़ रूपये का टर्न ओवर संलग्न करना होगा एवं वित्तीय वर्षो (2018–2019) का कम से कम पचास लाख रूपये का Net worth का Audit Report सलग्न करना होगा, जिससे ये प्रमाणित हो कि फार्म आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं।
7. मुद्रित किए जाने वालें प्रपत्रों के मुद्रण हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले कागज का नमूना संलग्न करना होगा एवं मतदान सामग्री लेखन सामग्री का नमूना क्रय समिति के समक्ष उपलब्ध कराना होगा।
8. फर्म को ESIC (Employees State Insurance Corporation) एवं Employees Provident Fund के अन्तर्गत 5 (पाँच) वर्ष पूर्व से निबंधित होना अनिवार्य है।
9. निविदादाता फर्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा के साथ पचास हजार रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
11. विगत विधान सभा एवं लोक सभा चुनाव में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र।

निविदा की तकनिकी शर्तें क्रम सं0–2, 3, 4 :–

1. निवादादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन Return के साथ कम से कम पाँच लाख रुपये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रुप में वित्तीय वर्ष 2019–2020 में जमा करने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN NO.) के साथ उद्यतन आयकर रिर्टन एवं पिछले वित्तीय वर्षो (2019–2020) का पचास लाख का टर्न ओवर संलग्न करना होगा।
3. विगत विधान सभा एवं लोक सभा चुनाव में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र।

4. निविदा के साथ क्रम संख्यावार अलग–अलग पचास हजार रूपये का किसी रास्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा के पदनाम से हो, प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
5. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निवादादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन आयकर Return के साथ प्रमाण पत्र देना होगा।
7. कार्य आवंटित होने के पश्चात जिला निर्वाचन कार्यालय/संबंधित कोषांगों में निर्धारित तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय अलग से देय नहीं होगा।
8. भुगतान की प्रक्रिया सामग्रियों की आपूर्ति विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के आधार पर की जायेगी।
9. फर्म को आयकर, पैन कार्ड की छायाप्रति संलन करना होगा।
10. वैसे निविदादाता जो निर्धारित प्रपत्र में निविदा नहीं देंगें उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
11. स्वीकृत निविदा दाता को समय सीमा के अधीन कार्य सम्पन्न करना होगा।

निविदा की तकनिकी शर्तें क्रम सं0–5 :–

1. निवादादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर (GST) का निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन आयकर Return के साथ प्रमाण पत्र देना होगा।
2. कार्य आवंटित होने के पश्चात जिला निर्वाचन कार्यालय/संबंधित कोषांगों में निर्धारित तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय अलग से देय नहीं होगा।
3. निविदा के साथ पचास हजार रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
4. भुगतान की प्रक्रिया सामग्रियों की आपूर्ति विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के आधार पर की जायेगी।
5. फर्म को आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति संलन करना होगा।
6. वैसे निविदादाता जो निर्धारित प्रपत्र में निविदा नहीं देंगें उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
7. स्वीकृत निविदा दाता को समय सीमा के अधीन कार्य सम्पन्न करना होगा।

निविदा की वित्तीय शर्तें:–

1. तकनिकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
2. सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जाएगी।
3. वित्तीय निविदा में निहित प्रपत्र में मदवार अलग–अलग दर दिया जाना अनिवार्य है।
4. दिये गये दर में मदवार टैक्स सहित दर दिया जाय। अलग से किसी प्रकार का टैक्स फर्म को देय नहीं होगा।

23/6/2020

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, सहरसा।